फोन- 2286710
2286709

राज्य नगरीय विकास अभिकरण
नव चेतना केन्द्र,10 अशोक मार्ग,लखनऊ–226001
website-www.sudaup.org

पत्रांक– 3669 /241/NULM/तीन/2001(SUSV) दिनांक– 01/01/15

सेवा में,

1. **नगर आयुक्त/सिटी प्रोजेक्ट ऑफिसर**
   नगर निगम,
   आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, वाराणसी, सहारनपुर, कानपुर नगर, मुरादाबाद, बरेली, गोरखपुर, झांसी, लखनऊ, गाजियाबाद, मेरठ तथा फिरोजाबाद।

2. **अधिशासी अधिकरी/सिटी प्रोजेक्ट ऑफिसर,**
   नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत,
   लोनी, मोदीनगर (गाजियाबाद), अकबरपुर (अम्बेडकरनगर), अमरोहा, आजमगढ़, बदायूँ, बहराइच, बलिया, बांदा, बस्ती, बुलन्दशहर, खुर्जा, सम्भल, चदौंसी, शिकोहाबाद, मुगलसराय, बडौत (बागपत), देवरिया, एटा, इटावा, फैजाबाद, फर्रूखाबाद, फतेहपुर, गाजीपुर, गोण्डा, हापुड़, हरदोई, हाथरस, उरई, जौनपुर, कासगंज, लखीमपुरखीरी, ललितपुर, महाराजगंज, मैनपुरी, मथुरा, मिर्जापुर, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, रायबरेली, रामपुर, शाहजहांपुर, शामली, सीतापुर, सुल्तानपुर, उन्नाव, औरैया, बागपत, बलरामपुर, नवाबगंज (बाराबंकी), चित्रकूट धाम कर्वी, दादरी (गौतमबुद्धनगर), हमीरपुर, बिजनौर, कन्नौज, पडरौना (कुशीनगर), महोबा, मऊ, प्रतापगढ़, खलीलाबाद (संतकबीरनगर), सिद्धार्थनगर, रार्बटसगंज (सोनभद्र), अमेठी, ज्ञानपुर (भदोही), चन्दौली, अकबरपुर (कानपुर देहात), मंझनपुर (कौशाम्बी) तथा भिनगा (श्रावस्ती)।

विषयः **राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता योजना (Support to Urban Street Vendors - SUSV) के क्रियान्वयन हेतु दिशानिर्देश।**

महोदय,

आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 12वीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत शहरी गरीबों को आजीविका उपलब्ध कराने और उनके सशक्तीकरण हेतु वर्तमान में संचालित स्वर्ण जयंती शहरी योजना के स्थान पर वर्ष 2013 से राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन आरम्भ किया गया है। यह मिशन शहरी गरीबों की सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं के व्यापक एवं एकीकृत रूप से समाधान किये जाने के उद्देश्य से आरम्भ किया गया है, ताकि उनकी आजीविका एवं सामाजिक स्तर में दीर्घकालीन सुधार हो सकें। मिशन के अन्तर्गत घटक के रूप में शहरी पथ विक्रेताओं को सम्मान पूर्ण जीवनयापन एवं आजीविका की सुरक्षा उपलब्ध कराने हेतु शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता योजना (Support to Urban Street Vendors - SUSV) आरम्भ की गई है।

पथ विक्रेता देश एवं राज्यों में संगठित क्षेत्र का महत्वपूर्ण भाग है। यह अनुमान है कि शहरों में पथ विक्रेता/फेरीवाले आबादी का 2 प्रतिशत है। प्रत्येक शहर में महिलाएं इन फेरी वालों का एक बड़ा भाग है। पथ विक्रेता/फेरी कार्य शहरों और नगरों में गरीबों के लिए न केवल स्वरोजगार का स्रोत है, बल्कि अधिकांश शहरी आबादी को किफायती और सुलभ सेवा प्रदान करने का जरिया भी है। लाभप्रद औपचारिक क्षेत्र के रोजगारों के लिए अपेक्षित कौशल और शिक्षा स्तर की तुलना में कम कौशल तथा शिक्षा और पारंपरिक संगठित क्षेत्र में लाभप्रद रोजगार हेतु पर्याप्त अवसरों की कमी के कारण गरीब लोग अनौपचारिक क्षेत्र कार्यकलापों में कार्यरत रहते हैं। वे अपनी आजीविका के मुद्दों को अपने अल्प संसाधनों और परिश्रम के जरिए सुलझाते हैं। उक्त समस्याओं को ध्यान में रखते हुए शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता उपलब्ध कराने हेतु राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में एक घटक के रूप में जोड़ा गया है।

शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता योजना (एस0यू0एस0वी0) का मुख्य उद्देश्य शहरी पथ विक्रेताओं को उनके कार्य के लिए उपयुक्त स्थलों, संस्थागत ऋण, सामाजिक सुरक्षा और कौशल विकास के अवसर उपलब्ध कराने के साथ शहरी पथ विक्रेताओं का सर्वेक्षण कर उन्हें पहचान–पत्र जारी करना, शहरी पथ विक्रेता प्लान (सिटी स्ट्रीट वेडिंग प्लान) तैयार करना, शहर में वेडिंग जोन हेतु अवस्थापना विकास, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास, वित्तीय सहायता एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत उपलब्ध सम्पूर्ण बजट का 5 प्रतिशत तक इस घटक पर खर्च किया जा सकेगा।

शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता योजना (एस0यू0एस0वी0) के मुख्य स्वरूप व दिशानिर्देश निम्नवत् है :

1. **घटक के उद्देश्य :**

शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता योजना द्वारा शहरी पथ विक्रेताओं की समस्याओं को एकीकृत रूप से समाधान करना है जिसमें सम्मिलित है :

1.1 शहरी पथ विक्रेताओं का सर्वेक्षण और पहचान पत्र जारी करना।

1.2 शहरी पथ विक्रेता प्लान का निर्माण।

1.3 शहर में वेडिंग जोन हेतु अवस्थापना विकास।

1.4 प्रशिक्षण और कौशल विकास।

1.5 वित्तीय समावेश।

1.6 ऋण उपलब्धता।

1.7 सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़ाव।

2. **क्रियान्वयन एजेन्सी (नगर निकाय, प्लानिंग अथॉरिटी एवं अन्य विभागो की भूमिका/कार्य) :**

2.1. राज्य स्तर पर शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता योजना घटक के क्रियान्वयन के लिए राज्य शहरी आजीविका मिशन (एस0यू0एल0एम0) उत्तरदायी होगा। शहर स्तर पर इस घटक (शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता योजना) के क्रियान्वयन जिम्मेदारी नगरीय स्थानीय निकाय (यू0एल0बी0) की होगी।

2.2. नगर निकाय उन प्लानिंग अथॉरिटी (अर्बन डेवलेपमेंट अथॉरिटी या कोई अन्य अथॉरिटी) के साथ परामर्श एवं समन्वय करेगी, जो शहर/नगर की भूमि उपयोग को नियांत्रित करने हेतु उत्तरदायी होगी। शहर/नगर प्लानिंग अथॉरिटी का योजना के क्रियान्वयन में यह भूमिका/कार्य होंगे कि वे वेंडिंग उपयोग हेतु अधिसूचना एवं प्लान तैयार करें और वेंडिंग मार्केट हेतु भूमि उपलब्ध कराना एवं वेंडिंग मार्केट हेतु अनुमोदन प्रदान करना।

2.3. राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन अन्तर्गत शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता योजना घटक के क्रियान्वयन में विभिन्न प्राधिकरणों/विभागों जैसे–नगरीय स्थानीय निकायों, विकास प्राधिकरणों, नगर नियोजन एजेन्सियों, भूमि और राजस्व विभाग और जिला प्रशासन के मध्य अपेक्षित समन्वय किया जायेगा। इस समन्वय को राज्य सरकार और नगर निकायों द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। अन्य एजेन्सियों जैसे राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, पब्लिक स्वास्थ्य विभाग, इंजीनियरिंग विभाग द्वारा भी शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता योजना घटक के क्रियान्वयन हेतु स्थानीय एजेन्सी को अवश्यकतानुसार सहयोग और सहायता उपलब्ध कराई जायेगी।

3. **शहरी पथ विक्रेताओं का सर्वेक्षण और पहचान पत्र जारी करना :**

3.1. राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत चयनित शहरों के सभी पथ विक्रेताओं को चिन्हीकरण एवं सूचीबद्ध करने हेतु नगर निकाय द्वारा सर्वेक्षण कराया जायेगा। यह सर्वेक्षण सम्पूर्ण शहर के आधार (whole city basis) पर किया जायेगा। नगर निकाय द्वारा यह सर्वेक्षण अन्य विकल्पों के आधार पर कई चरणों (वार्ड/जोन/शहर का विशेष भाग) के आधार पर शहर को आच्छादित किया जा सकता है। नगर निकाय को ये सुनिश्चित करना होगा कि सभी क्षेत्रों के सभी पथ विक्रेताओं का सर्वेक्षण में आच्छादन हो और सर्वेक्षण हेतु पद्वति/कार्यविधि विकसित करें। सर्वेक्षण में पथ विक्रेताओं का नाम, अविभावक का नाम, स्थाई और अस्थाई पता, पहचान पत्र (अगर है तो), दूरभाष/सम्पर्क नं0, वेंडिंग गतिविधि का प्रकार, वेंडिंग गतिविधि में संलग्न रहने का समय/अवधि, परिवार के सदस्यों का विवरण, सरकारी योजनाओं में लाभार्थी/गरीब के रूप में चिन्हीकरण का विवरण आदि आवश्यक रूप से सम्मिलित होगा। (शहरी पथ विक्रेताओं के सर्वेक्षण हेतु एक मॉडल सर्वेक्षण प्रारूप, *संलग्नक–1*)

3.2. सभी सर्वेक्षित/चिन्हित पथ विक्रेताओं को नगर निकाय पहचान पत्र जारी करेगा और सभी पथ विक्रेताओं के आंकडों का संग्रह/डाटाबेस तैयार कर अनुरक्षित किया जायेगा। (शहरी पथ विक्रेताओं को जारी किये जाने वाले पहचान पत्र का प्रारूप, *संलग्नक–2*)

4. शहरी पथ विक्रेता प्लान तैयार करना :

4.1. नगर निकाय द्वारा शहरी पथ विक्रेता प्लान तैयार किया जायेगा, जिसमें निम्नलिखित को समाविष्ट किया जायेगा –

4.1.1. पथ विक्रेताओं के ट्रेड (कारोबार) एवं गतिविधियों की प्रोफाईल तैयार करना।

4.1.2. पथ विक्रेताओं की गतिविधियों का स्थानिक बटवारा (spatial distribution)

4.1.3. पथ विक्रेताओ के लिए वेंडिंग जोन हेतु स्थान या क्षेत्र सुनिश्चित करना,

4.1.4. वेंडिंग जोन, सीमित वेंडिंग जोन एवं नो वेंडिंग जोन (वेंडिंग रहित क्षेत्र) का निर्धारण करना।

4.1.5. शहर के पथ विक्रेताओं को अधिकतम संख्या में किसी भी वेंडिंग जोन में समायोजित करने हेतु वेंडिंग जोनों की संभावित क्षमता आंकलन करना।

4.1.6. पथ विक्रय से संबंधित मुख्य चुनौतियों, प्रतिबंध नियामक और मुद्दों पर आपसी समझ बनाना।

4.1.7. संभावित पथ विक्रय क्षेत्र हेतु सम्भव समाधान।

4.2. शहरी पथ विक्रेता प्लान को पथ विक्रेताओं के प्रतिनिधियों और अन्य उपर्युक्त/संबंधित स्टेकहोल्डर से परामर्श के पश्चात् विकसित किया जायेगा। शहरी पथ विक्रेता प्लान तैयार करने में नगर निकाय द्वारा शहर की पुलिस, यातायात पुलिस, प्लानिंग अथॉरिटी एवं अन्य स्थानीय एजेन्सियों से समन्वय स्थापित किया जायेगा।

4.3. शहरी पथ विक्रेता प्लान तैयार होने तक नगर निकाय को मौजूदा बाजारों को तोडने/हटाने हेतु किये जाने वाले प्रयासों को न्यूनतम करना चाहिये। शहरी पथ विक्रेता प्लान ऐसा तैयार किया जाना चाहिये कि पथ विक्रेताओं को नये स्थान पर बसाव (रिलोकेशन) करने की आवश्यकता है तो यह रिलोकेशन प्रभावित पथ विक्रेताओं के साथ परामर्श आधारित होना चाहिये।

4.4 सर्वेक्षण निष्कर्ष के आधार पर शहरी पथ विक्रेता प्लान में वार्ड या जोन स्तर की वेंडिंग गतिविधियों, वेंडिंग ट्रेड (कारोबार का प्रकार) एवं मौजूदा बाजारों का डिजिटाइड या डिजिटाइड रहित मानचित्र (digitised or non-digitised map) भी सम्मिलित किया जायेगा।

5. शहरी पथ विक्रेताओं हेतु अवसंरचना सुधार :

5.1. नगर निकाय द्वारा मौजूदा बाजारों के पथ विक्रेताओं हेतु बुनियादी सुविधाओं एवं अवसंरचना में सुधार किया जायेगा। नगर निकाय द्वारा अवसंरचना सुधार परियोजना द्वारा विस्तृत क्रियान्वयन प्लान (Detailed Implementation Plan-DIP) तैयार की जायेगी। जिसमें नागरिक सुविधाओं में सुधार जैसे–पेविंग, जलापूर्ति, शौचालय, अपशिष्ट निस्तारण सुविधा, प्रकाश व्यवस्था, सामूहिक भण्डारण स्थान, विशेष तरह के ट्रेड हेतु विशिष्ट ठेला/कार्ट, अस्थाई शेडस और/या पार्किंग सुविधा आदि सम्मिलित होंगी। इस प्रकार के विशिष्ट ठेला/कार्ट को राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक स्व रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यक्तिगत ऋण द्वारा वित्तपोषित की जा सकती है। नगर निकाय की मदद से पथ विक्रेताओं और उनके संघो, स्थानीय एजेन्सियों और अन्य स्टेक होल्डर्स के परामर्श के आधार पर पथ विक्रेताओं के बाजारों हेतु अवसंरचना की आवश्यकता का निर्धारण किया जायेगा।

5.2. **विस्तृत क्रियान्वयन प्लान (डी0आई0पी0) में निम्नलिखित बिन्दु होना आवश्यक हैं :**

5.2.1. परियोजना की उपयोगिता, लाभार्थियों एवं स्टेकहोल्डर्स का विवरण, अपने क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडिग में सुधार करने में कैसे योगदान कर सकते हैं। विस्तृत क्रियान्वयन प्लान शहर पथ विक्रेता प्लान के अनुरूप होना चाहिए।

5.2.2. भूमि स्वामित्व विवरण।

5.2.3. विस्तृत क्रियान्वयन प्लान अगर रिलोकेशन प्लान है तो प्रभावित होने वाले पथ विक्रेताओं और/या उनके संघों की सहमति का पत्र होना चाहिए।

5.2.4. अवस्थापना सुधार सुविधाओं की लागत सहित विस्तृत प्लान जिसमें रखरखाव और अनुश्रवण प्लान सम्मिलित हो।

5.2.5. परियोजना से लाभांवित होने वाले लाभार्थियों का पूर्ण विवरण सहित सूची।

5.2.6. सुरक्षा एवं साफ–सफाई के मानकों का विवरण।

5.3. नगर निकाय को फूड स्ट्रीट, किसान मार्केट, रात्रि बाजार एवं अन्य विशिष्ट/विषय आधारित बाजारों हेतु विस्तृत क्रियान्वयन प्लान तैयार किया जाना चाहिए।

6. शहरी पथ विक्रेताओं का सर्वेक्षण, शहरी पथ विक्रेता प्लान और अवसंरचना सुधार (विस्तृत क्रियान्वयन प्लान) कार्य/तैयार किये जाने हेतु प्रक्रिया :

6.1. शहरी पथ विक्रेता को सहायता योजना घटक के अन्तर्गत शहरी पथ विक्रेताओं को सर्वेक्षण एवं पहचान पत्र जारी करना, शहर पथ विक्रेता प्लान (सिटी स्ट्रीट वेडिंग प्लान) तैयार करना, विस्तृत क्रियान्वयन प्लान (डिटेल इम्पलीमेंटेशन प्लान) एवं शहरी पथ विक्रेताओं को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु नगर निकाय को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जायेगी।

6.2. शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता योजना के अंतर्गत शहरी पथ विक्रेताओं का सर्वे, शहरी पथ विक्रेता प्लान (सिटी स्ट्रीट वेंडिंग प्लान) और विस्तृत क्रियान्वयन प्लान (डिटेल इम्पलीमेंटेशन प्लान) तैयार किये जाने हेतु एजेन्सी का चयन पारदर्शी प्रक्रिया से नियमानुसार किया जायेगा। बिड (आर0एफ0पी0) के द्वारा एजेन्सी का चयन किया जायेगा और चयन हेतु एजेन्सी के लिए अनिवार्य अर्हतायें एवं प्रक्रिया निम्नलिखित होंगी :

6.2.1. एजेन्सी हेतु अनिवार्य अर्हतायें :

6.2.1.1. बिड जारी करने के दिनांक से एजेन्सी का भारत में पंजीकरण की अवधि 5 वर्ष पूर्ण होनी चाहिये।

6.2.1.2. एजेन्सी का सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन नम्बर होना चाहिए।

6.2.1.3. एजेन्सी का अन्तिम 3 वर्षो का न्यूनतम वार्षिक औसत टर्नओवर रू0 100.00 लाख होना चाहिये।

6.2.1.4. एजेन्सी द्वारा न्यूनतम 2 – सिटी स्ट्रीट वेंडिंग प्लान, स्लम फ्री सिटी प्लान ऑफ एक्शन/सिटी डेवलेपमेन्ट प्लान/डी0पी0आर0 ऑफ म्युन्सिपल मार्केट/स्लम रिडेवलेपमेन्ट प्लान/सिटी सैनिटेशन प्लान/मास्टर प्लान ऑफ अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया हो (उक्त मे कोई भी दो कार्य)।

6.2.2 एजेन्सी चयन प्रक्रिया :

6.2.2.1 एजेन्सी के चयन बिड (आर0एफ0पी0) जारी करते हुए पारदर्शी प्रक्रिया द्वारा किया जायेगा।

6.2.2.2 यह चयन गुणवत्ता एवं मूल्य आधारित पद्धति (क्यू0सी0बी0एस0) (Quality and Cost Based System - QCBS) पर आधारित होगा। यह क्यू0सी0बी0एस0 75 प्रतिशत अंक तकनीकी प्रस्ताव हेतु और 25 प्रतिशत अंक वित्तीय प्रस्ताव हेतु पर आधारित होगा।

6.2.2.3. बिड (आर0एफ0पी0) में तकनीक प्रस्ताव के अन्तर्गत एजेन्सी का पंजीकरण, टर्नओवर, कार्य अनुभव आदि और कार्य विशेषज्ञों की उपलब्धता एवं शैक्षिक योग्यतानुसार अंक प्रदान किये जायेगें।

6.2.2.4. सिटी स्ट्रीट वेंडिंग प्लान तैयार करने के लिए जारी बिड (आर0एफ0पी0) में एजेन्सी द्वारा वेंडिंग प्लान तैयार करने हेतु कार्य विशेषज्ञों की टीम प्रस्तावित की जायेगी। इन कार्य विशेषज्ञों में टीम लीडर/अर्बन प्लानिंग विशेषज्ञ (न्यूनतम 10 वर्ष का कार्य अनुभव), जी0आई0एस0 विशेषज्ञ, एम0आई0एस0 विशेषज्ञ, प्रोजेक्ट इन्जीनियर, सोशल डेवलेपमेन्ट विशेषज्ञ और ट्रेनिंग कॉर्डीनेटर (न्यूनतम 5 वर्ष का कार्य अनुभव) होने चाहिये।

6.2.2.5. बिड (आर0एफ0पी0) के प्रकाशन की तिथि से लगभग 60 दिनों में एजेन्सी के चयन की प्रक्रिया पूर्ण करना सुनिश्चित किया जायेगा।

6.2.2.6. नगर निकाय द्वारा बिड (आर0एफ0पी0) तैयार किया जायेगा। बिड (आर0एफ0पी0) तैयार करने में आवश्यकतानुसार राज्य शहरी आजीविका मिशन/राज्य मिशन प्रबंधन ईकाई से सहयोग/मार्गदर्शन लिया जा सकता है।

6.2.2.7. चयनित एजेन्सी को सर्वेक्षण/सिटी स्ट्रीट वेंडिंग प्लान/डिटेल इम्पलीमेंटेशन प्लान तैयार करने हेतु कार्यादेश जारी करने से पहले उसके प्रस्ताव/चयन को शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता योजनान्तर्गत गठित राज्य स्तरीय परियोजना स्वीकृति समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

6.2.2.8. एजेन्सी द्वारा तैयार किये गये सिटी स्ट्रीट वेंडिंग प्लान/डिटेल इम्पलीमेंटेशन प्लान को क्रियान्वयन से पूर्व शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता योजनान्तर्गत गठित राज्य स्तरीय परियोजना स्वीकृति समिति से अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

7. प्रशिक्षण एवं कौशल विकास :

7.1. सभी सर्वेक्षित शहरी पथ विक्रेताओं हेतु नगर निकाय द्वारा दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर शहरी पथ विक्रेताओं उनके अधिकार, उत्तरदायित्व, शहरी पथ विक्रेताओं हेतु नीति या संबंधित कानून, खाद्य सुरक्षा, स्वच्छता, कूडा निस्तारण, वित्तीय समावेश, सामाजिक सुरक्षा संबंधित योजनाएं एवं अन्य योजनाओं का लाभ लेने के लिए जागरूक एवं संवेदित किया जायेगा।

7.2. प्रशिक्षण दिवसों में शहरी पथ विक्रेताओं को प्रशिक्षण के दौरान प्रतिदिन के आधार पर दैनिक वजीफा दिया जायेगा ताकि उनकी दैनिक आजीविका की हानि की पूर्ति हो सकें। यह दैनिक वजीफा राज्य द्वारा निर्धारित शहरी क्षेत्र में लागू न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं होगा।

7.3. दिशानिर्देशानुसार प्रत्येक शहरी पथ विक्रेता के प्रशिक्षण हेतु रू0 750/– प्रति दिवस के आधार पर व्यय किया जायेगा। जिसमें प्रशिक्षण शुल्क, प्रशिक्षण के दौरान भोजन भ्रमण आदि की लागत सम्मिलित हैं। शहरी पथ विक्रेताओं हेतु इस विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम की लागत राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक "कौशल प्रशिक्षण एवं सेवायोजन के माध्यम से रोजगार" (ई0एस0टी0एण्ड पी0) घटक से उपयोग की जायेगी।

शहरी पथ विक्रेताओं को प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु अलग से विस्तृत दिशानिर्देश जारी किये जायेगें।

8. वित्तीय समावेश :

8.1. पथ विक्रेताओं के पास पर्याप्त पहचान पत्र, प्रमाणित पंता नहीं होने के कारण, कार्य स्थल या व्यापार का वैधानिक अधिकार नहीं होने के कारण एवं अपने व्यापार और पेशे का प्रमाण नहीं होने के कारण संगठित बैंक सेवाओं तक पहुंच नहीं हो पाती है। योजनान्तर्गत पथ विक्रेताओं को जारी किये गये पहचान पत्र बैंक सेवाओं तक पहुंच को बढ़ावा देगें। नगर निकाय द्वारा पथ विक्रेताओं को जारी दस्तावेज/पहचान पत्र के आधार पर राज्य शहरी आजीविका मिशन/नगर निकाय/शहर मिशन प्रबंधन ईकाई द्वारा बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं से सम्पर्क स्थापित करते हुए पथ विक्रेताओं की बैंक तक पहुंच सरल बनाया जायेगा।

8.2. वित्तीय साक्षरता :

8.2.1. नगर निकाय द्वारा चिन्हित पथ विक्रेताओं के लिए रिसोर्स आर्गनाइजेशन (आर0ओ0) की सहायता से वित्तीय साक्षरता हेतु शिक्षण सत्रों का आयोजन किया जायेगा। इन शिक्षण सत्रों के द्वारा पथ विक्रेताओं को बचत, ऋण और बीमा इत्यादि पर जागरूक बनाते हुए इनकी आवश्यकता, संचालन एवं प्राप्त करने के तरीके विषय में जानकारी प्रदान की जायेगी। बैंक और वित्तीय संस्थान द्वारा शहरी आजीविका केन्द्र (सी0एल0सी0) के माध्यम से पथ विक्रेताओं को उक्त के सम्बन्ध में सूचित करने को

बढ़ावा देगी। नगरीय निकाय वित्तीय साक्षरता शिक्षण सत्रों एवं कैम्प के आयोजन हेतु लीड बैंक के लीड डिस्ट्रीक मैनेजर (एल0डी0एम0) और वित्तीय साक्षरता एवं ऋण परामर्श केन्द्र (एफ0एल0सी0सी0) को नगर निकाय आवश्यक समन्वय प्रदान करेगी।

8.3. पथ विक्रेताओं का बेसिक सेविंग बैंक डिपाजिट एकाउन्ट खुलवाना :

8.3.1. सभी चिन्हित पथ विक्रेताओं का बेसिक सेविंग बैंक डिपाजिट एकाउन्ट खुलवाया जायेगा। राज्य शहरी आजीविका मिशन (एस0यू0एल0एम0) द्वारा एस0एल0बी0सी0 समन्वयक, नगर निकाय, डिस्ट्रीक कार्डिनेशन कमेटी (डी0सी0सी0) और लीड डिस्ट्रीक मैनेजर (एल0डी0एम0) के साथ समन्वय एवं परामर्श कर निम्नलिखित को सुनिश्चित करेगी :

8.3.1.1. शहर स्तर पर चिन्हित सभी पथ विक्रेताओं की सूची को लीड बैंक के एल0डी0एम0 एवं डी0सी0सी0 को उपलब्ध कराना।

8.3.1.2. बैंको की सभी शाखाओं/विस्तार काउन्टर, शहरी आजीविका केन्द्र (सी0एल0सी0) और नगर निकाय कार्यालय में बैंक एकाउन्ट फार्म की उपलब्धता।

83.1.3. नगर निकाय के फील्ड स्टाफ और रिसोर्स आर्गनाइजेशन (आर0ओ0) के सहयोग से बैंक एकाउन्ट को खुलवाना।

9. पथ विक्रेताओं की ऋण तक पहुंच :

9.1. राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक स्व रोजगार कार्यक्रम – व्यक्तिगत उद्यम द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर एवं शहरी गरीबों को लघु उद्यम विकास हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जायेगी। स्व रोजगार कार्यक्रम के दिशानिर्देशों के अनुसार चिन्हित शहरी गरीब पथ विक्रेता को 7 प्रतिशत के ब्याज पर ऋण उपलब्ध होगा। स्वरोजगार कार्यक्रम घटक के अनुसार ही गरीब पथ विक्रेता को ऋण उपलब्ध कराये जाने की प्रक्रिया और शर्ते होंगी।

9.2. शहरी पथ विक्रेताओं हेतु क्रेडिट कार्ड :

9.2.1 उपयुक्त शहरी पथ विक्रेताओं के लिए कार्यशील पूंजी एवं अन्य प्रयोजनों के लिए ऋण की आवश्यकता की पूर्ति हेतु नगर निकाय द्वारा क्रेडिट कार्ड तक पहुँच हेतु सहयोग प्रदान किया जायेगा। नगर निकाय द्वारा चिन्हित पथ विक्रताओं को क्रेडिट कार्ड जारी कराने हेतु बैंको से लिंकेज करने में सहयोग प्रदान करेगी।

10. सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुडाव (लिंकेज) :

10.1. नगर निकाय द्वारा भारत सरकार की योजनाए स्वास्थ्य बीमा हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आर0एस0बी0वाई0) जीवन बीमा हेतु आम आदमी बीमा योजना या राज्य की किसी भी बीमा योजना में पथ विक्रताओं को पंजीकरण कराने में सहयोग किया जायेगा। इसी प्रकार अन्य बीमा योजनाओं में पथ विक्रताओं को पंजीकरण नगर निकाय द्वारा कराया जाना चाहिये। राज्य और केन्द्र सरकार की अन्य सामाजिक, कल्याण और सामाजिक सहायता योजनाओं में पथ विक्रताओं को पंजीकरण कराने हेतु नगर निकाय द्वारा सहयोग एवं जागरूकता बढ़ाने का भी कार्य किया जायेगा।

11. राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति :

11.1. नगर निकाय/शहर मिशन प्रबंधन ईकाई द्वारा राज्य मिशन प्रबंधन ईकाई के माध्यम से शहरी पथ विक्रताओं का सर्वेक्षण, शहरी पथ विता प्लान (सिटी स्ट्रीट वेंडिग प्लान) और विस्तृत क्रियान्वयन प्लान (डिटेल इम्पलीमेन्टेशन प्लान) इत्यादि प्रस्तावों/परियोजनाओं पर विचार और अनुमोदन (वित्तीय स्वीकृति सहित) हेतु शहरी पथ विक्रताओं की सहायता योजना के अन्तर्गत राज्य स्तरीय परियोजना स्वीकृति समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

11.2. नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–834/69–1–14–14(104)/2013, दिनांक 23 मई, 2014 द्वारा प्रमुख सचिव/सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग की अध्यक्षता में शहरी पथ विक्रताओं को

सहायता योजना के अन्तर्गत राज्य स्तरीय समिति का गठन किया जा चुका है। आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार के एक प्रतिनिधि भी इस समिति के सदस्य हैं।

12. **अनुश्रवण एवं मूल्यांकन :**

12.1. राज्य स्तर पर राज्य मिशन प्रबंधन ईकाई (एस0एम0एम0यू0) एवं शहर स्तर पर शहर मिशन प्रबंधन ईकाई (सी0एम0एम0यू0) द्वारा शहरी पथ विक्रताओं को सहायता योजना घटक के लक्ष्यों/गतिविधियों का सघन अनुश्रवण और मूल्यांकन किया जायेगा। नगर निकायों/शहर मिशन प्रबंधन ईकाई निर्धारित मासिक प्रगति फारमेट पर प्रत्येक माह समय से राज्य मिशन प्रबंधन ईकाई को प्रगति आख्या उपलब्ध कराई जायेगी।

13. शहरी पथ विक्रताओं की सहायता योजना के अन्तर्गत उक्त सभी गतिविधियां/कार्य आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक शहरी पथ विक्रताओं की सहायता योजना हेतु जारी दिशानिर्देशो के अनुसार ही की जायेंगी। दिशानिर्देश सूडा उ0प्र0 की वेबसाइट **www.sudaup.org** एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार की वेबसाइट **www.mhupa.gov.in** पर उपलब्ध है।

उपरोक्त दिशानिर्देशों के अनुसार समस्त कार्यवाही समयबद्ध रूप से कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय

(श्रीप्रकाश सिंह)
मिशन निदेशक

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-</u>

1. सचिव, नगर विकास, उ0प्र0 शासन।
2. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0।
4. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त परियोजना अधिकारी/ सहायक परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश।
6. वेब मास्टर, सूडा, उ0प्र0 को संलग्नक सहित सूडा की वेबसाइट **www.sudaup.org** पर अपलोड करने हेतु।

31/12/2014

(श्रीप्रकाश सिंह)
मिशन निदेशक

संलग्नक–1

क्रमांक–

शहरी पथ विक्रेताओं के लिए सर्वेक्षण प्रपत्र

नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत.....

जोन–..... वार्ड (नाम एवं संख्या) –.....

आवेदक की रंगीन पासपोर्ट साइज अद्यतन फोटो

1. नाम.....
2. लिंग (पुरूष/स्त्री).....
3. पिता का नाम.....
4. स्थान का पता.....
5. (क) स्थानीय पता.....
   .....
   (ख) स्थायी पता.....
   .....
6. आयु.....
7. शैक्षिक अर्हता.....
8. धर्म.....
9. जाति (सामान्य/ओ.बी.सी/एस.सी./एस.टी.).....
10. दूरभाष/सम्पर्क न0/मोबाईल न0.....
11. पहचान पत्र का नाम एवं संख्या (अगर है तो).....
12. बैक खाता न0, बैक का नाम एवं पता (अगर है तो).....
    .....
13. शारीरिक रूप से विकलांग (हॉ/नही).....विकलांगता का प्रकार.....
    यदि विकलांगता प्रमाणपत्र सक्षम स्तर से बना है, यदि हॉ तो संलग्न करें.....
14. परिवार के सदस्यों का विवरण–

क्र. सं.	नाम	आवेदक से सम्बन्ध	आयु	शिक्षा	व्यवसाय/ रोजगार	मासिक आय (रू. में)

(आवश्यकतानुसार उपरोक्त कॉलम बढा ले)

15. वर्तमान कारबार का विवरण–

क्र.सं.	कारोबार का नाम	कारोबार का स्थान	कारोबार का अनुभव (वर्षो में)	कारोबार में संलग्न होने की तिथि	कारोबार में निवेश की धनराशि (रू. में)	मासिक आय (रू. में)	अन्य

16. फेरी का प्रकार (मौसमी/स्थायी).....

17. वर्तमान फेरी का स्वरूप (चल/स्थिर).....

(I) चल फेरी :–

(क) यदि चल फेरी है तो कहां से कहां तक फेरी लगाते है (स्थान एवं दूरी).....
.....

(ख) चल फेरी किस प्रकार करते हैं (ठेले पर/साइकिल पर/सिर पर झउवा रखकर/अन्य स्पष्ट करें.....
.....

(ग) क्या बेचते है।.....

(II) स्थिर फेरी :–

18. (क) यदि स्थिर फेरी लगाते है तो दुकान लगाने का स्थान, बाजार का नाम, मुहल्ला एवं वार्ड.....
.....

(ख) दुकान की चौहद्दी (फेरी लगाने के स्थान के आस–पास का लैण्डमार्क).....
.....

(ग) कितने क्षेत्रफल भूमि पर स्थिर फेरी लगायी जा रही है (वर्ग फुट में).....
.....

(घ) क्या बेचते हैं.....

19. फेरी (वेंडिग.) में संलग्न रहने की अवधि (घन्टे..... समय कब से कब.....)

20. (क) क्या राशन कार्ड उपलब्ध है?(हॉ / नही).....

(ख) यदि हां तो वह गरीबी रेखा के नीचे का है अथवा नहीं? (हॉ / नही).....

(ग) राशन कार्ड संख्या तथा जारी करने वाले कार्यलय का नाम.....
.....

21. क्या आप का परिवार महिला मुखिया आधारित है (एकल महिला, तलाकशुदा, विधवा, वृद्व, वे परिवार जिसमें महिला ही कमाऊ सदस्य है आदि).....

22. क्या आप किसी सरकारी योजना (केन्द्र/राज्य) से लाभान्वित हुए है (यदि हॉ तो योजना का नाम एवं प्राप्त लाभ का विवरण).....

23. फेरी व्यवसाय हेतु क्या आपने किसी बैंक (सार्वजनिक/निजी) से ऋण लिया है, यदि हॉ तो बैंक का नाम, ऋण की धनराशि एवं वापसी का विवरण.....

24. अन्य कोई विवरण (उपरोक्त के अतिरिक्त).....
.....

25. सर्वेक्षणकर्ता की उपरोक्त तथ्यों की पुष्टि के संबंध में स्पष्ट टिप्पणी (कृपया उल्लेख करें).....
.....
.....

सर्वेक्षणकर्ता का नाम　　सर्वेक्षण की तिथि　　आवेदक के हस्ताक्षर एवं तिथि

जांचकर्ता की टिप्पणी, हस्ताक्षर एवं तिथि

संलग्नक–2

निकाय का नाम

शहरी पथ विक्रयकर्ता का परिचय–पत्र

क्रमांक.....

1. पथ विक्रेता कोड सं0–.....
2. वेंडर का नाम.....
3. पिता/पति का नाम.....
4. पता.....
5. टेलीफोन/मोबाइल नं0.....
6. व्यवसाय की प्रकृति.....
7. श्रेणी (स्थिर/चल).....
8. पथ विक्रय का स्थान/वेंडिग जोन–.....
9. पथ विक्रय की अवधि –.....से .....तक
10. परिवार के नाम निर्देशिती का नाम.....

पासपोर्ट साइज का अद्यतन रंगीन फोटो

हस्ताक्षर

प्राधिकृत अधिकारी

टाउन वेंडिग कमेटी